न्यायालय सहायक कलक्टर बाप जिला–जोधपुर
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पूनाराम पुत्र मालूराम		1. जीवणराम पुत्र बलवंताराम
2. लेखाराम पुत्र मालूराम		2. लाधूराम पुत्र मालूराम
3. मनीराम पुत्र मालूराम		जाति विश्नोई निवासी कानासर
4. हणुताराम पुत्र उदाराम		तहसील बाप जिला जोधपुर
5. मुलतानाराम पुत्र उदाराम		3. राजाराम पुत्र कृष्ण
जाति विश्नोई निवासी कानासर		4. दयाराम पुत्र कृष्ण
तहसील बाप जिला जोधपुर		जाति विश्नोई निवासी ग्राम 2
		टी.के. तहसील रायसिंह नगर
		जिला गंगानगर
		5 यूको बैंक शाखा बाप

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 (2) सी.पी.सी एवं प्रार्थना–पत्र वाद जरिये विड्रो खारिज करने बाबत्

राजस्व वाद संख्या :– 144/2017
उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी वादीगण की और से
2. श्री ओमप्रकाश गौदारा प्रतिवादी संख्या 1 की और से

निर्णय

दिनांकः– 26.12.2019

वादीगण के वाद का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि खसरा नंबर 1235 रकबा 222.04 बीघा, खसरा नंबर 1289 रकबा 116.08 बीघा, खसरा नंबर 1233 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नंबर 1234 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नंबर 1288 रकबा 0.04 बीघा भूमि सरहद मौजा ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में वक्त सेटलमेंट उदा वल्द भारता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। ग्राम कानासर में से नया राजस्व ग्राम नारायणनगर नवसृजित हो जाने से खसरा नंबर 1288 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नंबर 1289 रकबा 116.08 बीघा ग्राम नारायण नगर की सीमा में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसका यह वाद पेश हुआ। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की और श्री ओमप्रकाश गौदारा ने वकालतनामा मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 (2) सी.पी.सी का बाबत् दावा जरिये उपशमन अबेट खारिज किये जाने हेतु पेश

प्रकरण मे अन्य वादीगण भी पक्षकार है, लिहाजा वाकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दीगण संख्या 4 की हद तक अबेट किया जाता है। उक्त वाद वादीगण के अधिवक्ता द्वारा पुन: वाद लाये जाने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वाद को जरिय विड्रो करना चाहते है। अतः न्यायहित में वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये विड्रो का स्वीकार किया जाता है। वाद वादीगण भविष्य में पुन: वाद लाये जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 26/2/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

गया। जो शामिल मिसल किया गया वकील वादीगण को प्रार्थना– पत्र की प्रति दिलवाई गई। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली वास्ते जवाब हेतु मुर्कर है तथा उपरोक्त अनवान की पत्रावली में वादी संख्या 4 हणुताराम का देहान्त करीब एक डेढ वर्ष पूर्व में हो गया है तथा वादीगण द्वारा निर्धारित समय अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक विधिक प्रतिनिधियों को पत्रावली पर लिये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तथा वाद में वर्णित भूमि के संबंध में मृतक वादी संख्या 4 के वारिसानों द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में अपील पेश की हुई होने से तथा अपील में वाद को समेकित किये जाने का प्रार्थना पत्र लंबित होने से उपरोक्त अनवान के वाद का निस्तारण मेरिट पर किया जाना आवश्यक है। अत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान का वाद जरिये अबेट खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र वास्ते वाद पुनः पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद विड्रो करने बाबत पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। वकुलाय पक्षकारान ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का जवाब पेश न कर सीधे ही बहस हेतु निवदेन किया गया।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी संख्या 4 हणुताराम का देहान्त करीब डेढ वर्ष पूर्व हो गया है तथा वादीगण द्वारा निर्धारित समय अवधि व्यतित हो जाने के उपरान्त भी अभी तक विधिक वारिसान को पत्रावली पर लेने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की है तथा वाद में वर्णित भूमि के संबंध में मृतक वादी संख्या 4 के वारिसानों द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में अपील पेश की हुई होने से तथा अपील में वाद को समेकित किये जाने का प्रार्थना पत्र लंबित होने से उपरोक्त अनवान के वाद का निस्तारण मेरिट पर किया जाना आवश्यक है। अत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान का वाद जरिये अबेट खारिज किये जाने का आदेश फरमावे। वकील अप्रार्थीगण (वादीगण) ने निवेदन किया कि वादी संख्या 4 के देहान्त की सूचना न होने एवं राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 4 का नाम दर्ज होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया यह तकनिकि भूल है। तकनिकि भूल के आधार पर किसी वाद को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना– पत्र के साथ वादी संख्या 4 का देहान्त होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। वादीगण जरिये अधिवक्ता उक्त वाद को जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहते है। अतः वादीगण का वाद भविष्य में पुनः वाद लाये जाने के अधिकरों को सुरक्षित रखते हुए वाद जरिये विड्रो खारिज किया जावे एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3(2) सी.पी.सी का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय पक्षकरान की बहस मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3(2) सी.पी.सी का अध्ययन किया गया। बाद मनन अवलोलन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि उक्त आदेश के तहत कोई पक्षकार की देहान्त हो जाने पर वाद मृतक की हद तक अबेट माना जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.30 22:08:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: